

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 455 / 18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

इरनूस संगी  
श्रीमती कलारा धान

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12.06.20

## आदेश

आवेदक इरनूस संगी पिता स्व० विगल संगी ग्राम-काटमकुकु, पोस्ट-लोधमा, थाना करी, जिला खूँटी ने श्रीमती कलारा धान पिता श्री बाहा धान ग्राम-कुर्से, पोस्ट-कुर्से, थाना करी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
काटमकुकु	158	19	127	0.10


उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 001904 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, करी के पत्रांक 269 दिनांक 19.03.20 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधुवा पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार मालो वगैरह के नाम भूमि का रकबा 51.67 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.58 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00 (बीस हजार छः सौ आठ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 2.48 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना करी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, करी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

शपथ पत्र सं०- 207 दिनांक 12.06.20 के अनुसार वर्तमान में कलारा धान अविवाहित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, करी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण इरनूस संगी पिता स्व० विगल संगी को श्रीमती कलारा धान पिता श्री बाहा धान के साथ ग्राम काटमकुकु के खाता सं० 19 खेसरा संख्या 127 कुल रकबा 10 डिसमिल भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 20608.00 (बीस हजार छः सौ आठ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, करी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
12/06/20  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
12/06/20  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।